(63)

निगरानी / छतरपुर / भू-अ / 2017 / 2574

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

लक्ष्मी प्रसाद पटेल पुत्र श्री शिवदयाल पटेल, निवासी– ग्राम गढ़ी व पोस्ट गढ़ी मलहेरा, तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

ओम प्रकाश पटेल पुत्र बालकिशुन पटेल, निवासी– ग्राम गढ़ी व पोस्ट गढ़ी मलहेरा, तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर (म.प्र.) ---अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 5-8-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

05-08-2017

<u>न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़ी मलेहरा, जिला छतरपुर म.प्र., द्वारा प्रकरण क्रमांक 109/अ–12/2016–17 में की गयी सीमांकन कार्यवाही एवं पारित दिनांक 18/06/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, विद्वान अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित सीमांकन आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, ग्राम गढ़ी मलेहरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 104 कुल रकबा 4.59 हे. के भूमि स्वामी आवेदक एवं अनावेदक है। अनावेदकगण द्वारा तथाकथित पैंसली नकशा तरमीम के आधार पर आवेदक हितबद्ध पक्षकार को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक ... पारित किया गया जो प्रथम दृष्टया ही अधिकारिता

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2571 लक्ष्मीप्रसाद **विरूद्ध** ओमप्रकाश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़ी मलेहरा जिला छतरपुर के सीमांकन आदेश दिनांक 18-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 28/12/18 सदस्य	